विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज, शास्ति आदि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं सहित 68 कंडिकायें सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 291.79 करोड़ की राशि अंतर्निहित है। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

विगत वर्ष में ₹ 41,394.67 करोड़ के विरूद्ध, वर्ष के दौरान राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 51,854.18 करोड़ थीं । इस राशि का 52 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा कर राजस्व (₹ 21,419.33 करोड़) तथा कर–भिन्न राजस्व (₹ 5,719.77 करोड़) के रूप में वसूल किया गया । शेष 48 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (₹ 15,638.52 करोड़) तथा सहायक अनुदान (₹ 9,076.56 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ ।

(कंडिका 1.1.1)

वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, भू–राजस्व, अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ तथा अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की वर्ष 2010–11 के दौरान की गई नमूना जाँच में 4,36,829 प्रकरणों में ₹ 1,955.06 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला ।

(कंडिका 1.5.1)

II. वाणिज्यिक कर

"मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक कर जाँच चौकियों की कार्यप्रणाली" पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगत हुए:

- शास्ति प्रकरणों की सूचना वृत्त कार्यालयों को देने के प्रावधानों के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 12.77 लाख के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 2.9.9)

- जाँच चौकियों पर परिवहनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 49 में दर्ज व्यवसाइयों के टिन के सत्यापन हेतु कोई प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप ₹ 1.18 लाख के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 2.9.13)

- शास्ति के अनारोपण/कम आरोपण के परिणामस्वरूप ₹ 35.91 लाख के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 2.9.17)

- ऐसे परिवहनकर्ताओं पर, जो प्रेषक, प्रेषिती या वस्तुओं (माल) के बारे में जानकारी देने में विफल रहे अथवा जिन्होंने जाली दस्तावेज प्रस्तुत किये, कर के अनारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 38.67 लाख के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 2.9.18)

- पारगमन पत्र के तहत वस्तुओं के आवागमन पर निगरानी में कमी के परिणामस्वरूप ₹ 62.25 करोड़ की शास्ति वसूल नहीं हुई ।

(कंडिका 2.9.20.2)

"अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणापत्रों का उपयोग" पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगत हुए:

- 181 घोषणापत्रों को उन व्यवसाइयों द्वारा वापस नहीं किया गया, जिनके पंजीयन प्रमाण–पत्र निरस्त किये गये थे।

(कंडिका 2.10.7)

- अपूर्ण घोषणापत्रों पर ₹ 7.29 करोड़ की रियायत अनियमित ढंग से प्रदान की गई।

(कंडिका 2.10.9)

- घोषणा–पत्रों के बिना विक्रय पर ₹ 11.36 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.10.11.1)

- कर की गलत दरें लागू किये जाने के कारण ₹ 47.37 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.10.12)

24 कार्यालयों में 33 व्यवसाईयों के 38 प्रकरणों में ₹ 1.97 करोड़ के प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ ।

(कंडिका 2.11)

19 कार्यालयों में 32 व्यवसाईयों के 34 प्रकरणों में कर की गलत दर लागू किए जाने से ₹ 1.52 करोड़ के कर की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 2.12)

12 कार्यालयों में 13 व्यवसाईयों के 13 प्रकरणों में आगत कर छूट की अनियमित स्वीकृति दिए जाने से ₹ 1.51 करोड़ के कर की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 2.13)

एक कार्यालय में एक व्यवसायी के प्रकरण में ₹ 1.26 करोड़ के क्रय कर का कम आरोपण हुआ ।

(कंडिका 2.14)

तेरह कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा 15 व्यवसाईयों के 17 प्रकरणों में कर योग्य वस्तुओं के विक्रय को गलत ढंग से कर मुक्त मानने से ₹ 88.69 लाख के कर एवं ब्याज का अनारोपण हुआ ।

(कंडिका 2.16)

तीन कार्यालयों में तीन व्यवसाईयों के तीन प्रकरणों में कर मुक्ति की अनियमित स्वीकृति प्रदान किए जाने के कारण ₹ 91.13 लाख के कर की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 2.17)

III. राज्य उत्पाद शुल्क

छः जिलों में 12 इकाईयों द्वारा 338 अनुज्ञापत्रों के विरूद्ध निर्यात/परिवहन की गई विदेशी मदिरा/बीयर की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क ₹ 24.07 करोड़ की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 3.6.1)

10 जिलों में 15 इकाईयों से विदेशी मदिरा/बीयर के परिवहन/निर्यात के 3,160 प्रकरणों में अमान्य छीजन पर ₹ 6.71 करोड़ के आबकारी शुल्क/शास्ति की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 3.7.1)

एक आसवनी में स्पिरिट/विदेशी मदिरा की कमी पर ₹ 2.06 करोड़ की शास्ति वसूल नहीं की गई ।

(कंडिका 3.8)

दो जिलों में 22 अनुज्ञप्तिधारियों से मदिरा के अनियमित प्रदाय पर आबकारी शुल्क ₹ 50.30 लाख की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 3.11)

IV. वाहनों पर कर

"मोटर वाहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगत हुए:

- 11,991 पंजीयन प्रमाण पत्र अनुमत्य अवधि से अधिक वैधता अवधियों के लिये जारी किये गये ।

(कंडिका 4.7.7)

- परिवहन/गैर–परिवहन वाहन चलाने के लिए चालक अनुज्ञप्तियों को अनुमत्य अवधि से अधिक अवधि के लिए जारी किया गया ।

(कंडिका 4.7.11)

- गियरवाले मोटर वाहन अथवा हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए चालक अनुज्ञप्ति ऐसे आवेदकों को जारी की गई जो अवयस्क थे ।

(कंडिका 4.7.12)

- की–फील्ड में या तो डाटा की प्रविष्ट नहीं की गई थी या अमान्य डाटा प्रविष्ट किया गया था ।

(कंडिका 4.7.15)

- वैधीकरण जाँचों के अभाव में, 1,66,987 वाहनों में एक ही बीमा कवर नोट का दो बार उपयोग किया गया ।

(कंडिका 4.7.19)

- 26,07,756 वाहनों के संबंध में पैन संबंधी डाटा की डाटाबेस में प्रविष्टि न करके इसे उचित महत्व प्रदान नहीं किया गया था ।

(कंडिका 4.7.20)

- स्थानीय रूप से विकसित एप्लीकेशन में प्रवर्तन, बीमा अद्यतन, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक का बायोमैट्रिक्स आदि संग्रहीत न किये जा सकने के कारण अनुचित चालक अनुज्ञप्तियों के जारी किये जाने या अन्य दुरूपयोग किये जाने की संभावना थी ।

(कंडिका 4.7.21)

26 कार्यालयों में 2,771 वाहन स्वामियों से ₹ 8.94 करोड़ के कर एवं शास्ति की वसूली नहीं की गई ।

(कंडिका 4.8)

एक कार्यालय द्वारा 68 निजी सेवा वाहनों पर गलत दर से कर के आरोपण के परिणामस्वरूप शास्ति सहित ₹ 87.98 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 4.9)

24 कार्यालयों में 535 वाहनों से वाहन कर के विलम्बित भुगतान पर ₹ 23.56 लाख की शास्ति की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 4.11)

V. भू–राजस्व

23 तहसील कार्यालयों में भू–राजस्व तथा उपकर को 'भू–राजस्व' शीर्ष के स्थान पर पंचायत निधि में जमा किया गया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.22 करोड़ की प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण हुआ ।

(कंडिका 5.6)

तीन कार्यालयों में अभिलेखों के सत्यापन के दौरान राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) के प्रावधानों का उल्लंघन कर नजूल भूमि को एक ट्रस्ट की कृषि भूमि के साथ अनियमित रूप से विनिमय किया गया ।

(कंडिका 5.7)

कलेक्टर कार्यालय (नजूल), उमरिया में अग्रिम आधिपत्य के दो प्रकरणों में ₹ 70.50 लाख के प्रीमियम और भू–भाटक की वसूली नहीं की गई ।

(कंडिका 5.9)

चार कलेक्टर कार्यालयों और एक तहसील कार्यालय में 30 प्रकरणों में व्यपवर्तन लगान, प्रब्याजि एवं उपकर के कम निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 20.84 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 5.10)

VI. मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

19 कार्यालयों में 46 प्रकरणों में पट्टा अनुबंध पर ₹ 14.87 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ ।

(कंडिका 6.7)

24 कार्यालयों के 621 प्रकरणों में बाजार मूल्य के गलत अवधारण/प्रकरणों का निराकरण न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 12.98 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति हुई/प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 6.8)

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–क में प्रावधान न होने के कारण एक कार्यालय में दो प्रकरणों में ₹ 3.96 करोड़ के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 6.9)

सात कार्यालयों के 32 प्रकरणों में विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 2.69 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ ।

(कंडिका 6.10)

तीन कार्यालयों के 102 प्रकरणों में विलेखों का पंजीयन न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 6.11)

VII. मनोरंजन शुल्क

तीन कार्यालयों द्वारा 129 केबल आपरेटरों के प्रकरण में नियमों का उल्लंघन करने पर शास्ति आरोपित न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 96.55 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 7.2)

58 सिनेमा गृहों पर ₹ 24.04 लाख के मनोरंजन शुल्क का आरोपण नहीं किया गया ।

(कंडिका 7.3)

14 कार्यालयों द्वारा 574 केबल आपरेटरों और 11 होटलों/लॉज से ₹ 17.29 लाख के मनोरंजन शुल्क की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 7.4)

VIII. विद्युत शुल्क

विद्युत संस्थापनाओं के 74,541 स्वामियों पर नियमों के उल्लंघन के लिए ₹ 2.24 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गई ।

(कंडिका 8.6)

मध्यम तथा उच्च वोल्टेज विद्युत संस्थापनाओं के आवधिक निरीक्षण न किये जाने के कारण ₹ 1.25 करोड़ के निरीक्षण फीस की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 8.7)

47 उपभोक्ताओं के प्रकरणों में खानों पर गलत दर से शुल्क आरोपित किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.23 करोड़ के विद्युत शुल्क की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 8.8)

X. खनन प्राप्तियां

पाँच कार्यालयों में छः पट्टाधारकों से मुख्य खनिजों पर ₹ 4.95 करोड़ के राज्यांश की कम प्राप्ति हुई ।

(कंडिका 10.7)

दो कार्यालयों में मुख्य खनिजों के दो पट्टाधारकों द्वारा ₹ 81.78 करोड़ के शासकीय धन का अनधिकृत रूप से प्रतिधारण किया गया ।

(कंडिका 10.11)

14 कार्यालयों में 271 खनन पट्टा धारकों से ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर के रूप में 18.96 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 10.12)